



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08032022-234000
CG-DL-E-08032022-234000

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 945]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 3, 2022/ फाल्गुन 12, 1943

No. 945]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 3, 2022/PHALGUNA 12, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मार्च, 2022

का.आ. 975(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि तेलंगाना राज्य के महबूबनगर जिले में NH167 के देओसुगुर (तेलंगाना/कर्नाटक बॉडगर) (किमी. 181.200) से जडचेरला (किमी. 283.000) के भू-खण्ड के 4-लेन का बनाना के लोक हित के लिये वह भूजम अपेक्षित है जिसका संज्ञित विवरण नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अधिग्रहण करने के अपने इरादा की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् एडिशनल कलेक्टर को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकृत किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

तेलंगाना राज्य के महबूबनगर जिले में NH167 के बांदरेपल्ले गाँव (किमी 237.100) से ताड़पथी गाँव (किमी 272.980) ऑफ़ देओसुगुर (तेलंगाना / कर्नाटक बॉर्डर) - जडचरला तक एनएच -167 के महबूबनगर जिले में, हैदराबाद - पांजाजी गलियारे के तहत भरतमाला परियोजना के तहत, तेलंगाना राज्य में अिगन की जाने वाली संरचना रजहत अथवा संरचना सजहत भूमि का संजिप्त विवरण।

राज्य का नाम: तेलंगाना		जिले का नाम: महबूबनगर			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: चिन्ना चिंता कुंता					
गांव का नाम: बन्दरपाले					
1	54	निजी	सूखा	2,381.0800000(वर्ग मीटर)	0.2381080
2	55	निजी	सूखा	414.1000000(वर्ग मीटर)	0.0414100
तालुक का नाम: देवरकद्र					
गांव का नाम: बालसुपले					
1	172/Road	सरकारी	सूखा	829.6000000(वर्ग मीटर)	0.0829600
तालुक का नाम: महबूबनगर (ग्रामीण)					
गांव का नाम: कदूर					
1	485	निजी	वैट	381.1500000(वर्ग मीटर)	0.0381150
गांव का नाम: ओबलाइपाली					
1	106	निजी	सूखा	207.4000000(वर्ग मीटर)	0.0207400
2	21	निजी	सूखा	5,288.7100000(वर्ग मीटर)	0.5288710
3	22	निजी	सूखा	4,977.6200000(वर्ग मीटर)	0.4977620
4	23	निजी	सूखा	311.1000000(वर्ग मीटर)	0.0311100
कुल				14,790.7600	1.4791

[फा. सं. NHA/PIU-HYDERABAD/NH-167/DEO-JAD/LA/2017/3A]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd March, 2022

S.O. 975(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for four laning of Deosugur (Telangana/Karnataka Border) (Km. 181.200) - Jadcherla (Km. 283.000) section of NH-167 as a part of Hyderabad - Panaji Corridor, in the district of MAHABUBNAGAR under Bharatmala Pariyojana in the state of TELANGANA, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Additional Collector in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling in the stretch of land from Bandrepalle village (Km. 237.100) to Tadparthy village (Km. 272.980) of Deosugur (Telangana /Karnataka Border) - Jadcherla section of NH-167 as a aprt of Hyderabad - Panaji corridor in the district of MAHABUBNAGAR under Bharatmala Pariyojana in the state of TELANGANA

State: TELANGANA		District: MAHABUBNAGAR			
Sl. No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Chinna chinta kunta					
Village: Banderpalle					
1	54	Private	DRY	2,381.0800000(Square Meter)	0.2381080
2	55	Private	DRY	414.1000000(Square Meter)	0.0414100
Taluk: Devarkadra					
Village: Balsupalle					
1	172/Road	Government	DRY	829.6000000(Square Meter)	0.0829600
Taluk: Mahabubnagar (Rural)					
Village: Kadur					
1	485	Private	Wet	381.1500000(Square Meter)	0.0381150
Village: Oblaipalle					
1	106	Private	Dry	207.4000000(Square Meter)	0.0207400
2	21	Private	Dry	5,288.7100000(Square Meter)	0.5288710
3	22	Private	Dry	4,977.6200000(Square Meter)	0.4977620
4	23	Private	Dry	311.1000000(Square Meter)	0.0311100
Total				14,790.7600	1.4791

[F. No. NHAI/PIU-HYDERABAD/NH-167/DEO-JAD/LA/2017/3A]

RAJESH GUPTA, Director